राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर दिनांक : 13 अप्रेल, 2017

सं.प.4(6)वित्त/आब/2017:-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. प.4(6)वित्त/आब/2017 दिनांक 08.3.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

सं. एफ. 4 (6) एफडी/एक्साइज/2017 **दिनांक : 08 मार्च, 2017**

अधिसूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं 2) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप-धारा (3) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का प्रतिस्थापन.- राजस्थान विदेशी शराब (थोक व्यापार और खुदरा विक्रय की अनुज्ञप्ति की मंजूरी) नियम, 1982 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"3. विदेशी शराब के विक्रय के लिए थोक विक्रय अनुज्ञप्तियों के लिए पात्रता और उसका मंजूर किया जाना.- (1) कोई व्यक्ति जो राजस्थान राज्य में विदेशी शराब के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति रखता है, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 47 के उप-नियम (1) के खण्ड (क)

के अधीन राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड को विदेशी शराब के विक्रय के लिए थोक विक्रय अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिए पात्र होगा। पात्र व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा। अनुज्ञप्ति, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर की जा सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति जो राजस्थान राज्य के भीतर या बाहर वाईन के निनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति रखता है, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 47 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन वाईन के विक्रय के लिए थोक विक्रय अनुज्ञप्ति मंजूर किये जाने के लिए पात्र होगा। पात्र व्यक्ति ऐसी अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए आबकारी आयुक्त को आवेदन कर सकेगा। अनुज्ञप्ति, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 68 के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर आबकारी आयुक्त द्वारा मंजूर की जा सकेगी।

(3) उप–नियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, थोक विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड को मंजूर की जा सकेगी।"

3. नियम 4 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"4. विदेशी शराब के विक्रय के लिए खुदरा विक्रय अनुज्ञप्तियां मंजूर करने के लिए पात्रता और प्रक्रिया.– (1) राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 48 के साथ पठित नियम 49 के अधीन परिसरों के बाहर उपभोग के लिए विदेशी शराब के विक्रय के लिए खुदरा अनुज्ञप्ति, आवेदन आमंत्रित करके या ऐसी किसी अन्य प्रणाली द्वारा जो समय–समय पर सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाये, मंजूर की जायेगी।

(2) ऐसे मामलों में आवेदन, ऐसी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर जो आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, किसी नगरपालिका के विनिर्दिष्ट जोन या, यथास्थिति, सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र में विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए, आबकारी आयुक्त द्वारा आमंत्रित किये जायेंगें।

(3) आवेदन के आमंत्रण के लिए नोटिस, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नोटिस में नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा। नियत तारीख को जिस समय तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगें, वह नोटिस में उपदर्शित किया जायेगा। आवेदन ऐसी रीति से और प्ररूप में प्रस्तुत किये जायेंगें जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये। आवेदन की प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) आबकारी आयुक्त राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से वित्तीय वर्ष के लिए संदेय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) आवेदन या आवेदनों के बंडल के साथ ऐसा अग्रिम धन होगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमादन से आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगें। प्राप्त समस्त आवेदन, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगें। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी किसी नगरपालिक जोन या, यथास्थिति, सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र के लिए इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। अस्वीकृत होने की दशा में कारण अभिलिखित किये जायेंगें।

(7) नगरपालिका के किसी जोन या सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र के लिए इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् और यदि प्रतिगाह्य आवेदनों की संख्या नगरपालिका के किसी जोन या सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट दुकानों की संख्या से अधिक है, तब संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष स्वीकृत आवेदनों की सूची लाट के ड्रा के लिए और पर्चियां प्रस्तुत करेगा।

(8) जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति, दुकान की अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सफल आवेदकों के चयन के लिए लाट का ड्रा निकालेगी।

(9) किसी आवेदन की स्वीकृति, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सफल आवेदक को संसूचित की जायेगी और सफल आवेदक से ऐसी संसूचना में उपदर्शित किये गये समय के भीतर राजकोष में देय वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस और अन्य अपेक्षित रकम निक्षिप्त करवाने की अपेक्षा की जायेगी।

(10) यदि उपदर्शित किये गये समय के भीतर अपेक्षित प्रतिभूति और अन्य अपेक्षित रकम निक्षिप्त नहीं की जाती है, तो आवेदन की स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी और ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में आवेदन के साथ निक्षिप्त अग्रिम धन और निक्षिप्त कोई अन्य रकम सरकार को समपहृत हो जायेगी।

(11) अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा,—

(क) यदि यह सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है या अपूर्ण है;

(ख) यदि उसके विरूद्ध आबकारी शोध्य के बकाया परादेय हैं;

(ग) यदि आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का है;

(घ) यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के उद्यमों, निगमों और भारत सरकार या राज्य सरकार की कंपनियों के नियोजन में है; और

(ङ) यदि आवेदक राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राजस्व से संबंधित या किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध या पण्य वस्तु चिह्नों से संबंधित किसी विधि या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 482 से 489 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है।"

(12) अन्य देशों में विनिर्मित विदेशी शराब का विक्रय करने के लिए राज्य में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की शुल्क मुक्त दुकान के लिए अनुज्ञप्ति, ऐसी फीस पर जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाये और ऐसी शर्तों पर जो आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, मंजूर की जा सकेगी।

(13) देशी शराब की दुकान के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्र और सागवाड़ा नगरपालिक क्षेत्र को छोड़कर चतुर्थ प्रवर्ग नगरपालिका के नगरपालिक क्षेत्र में विदेशी शराब के खुदरा विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति, राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट संयुक्त फीस के संदाय पर मंजूर की जा सकेगी।"

4. नियम 5 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"5. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यतिक्रम के लिए मंजूरी का रद्दकरण.– (1) जहां किसी व्यक्ति जिसके पक्ष में इन नियमों के अधीन थोक विक्रय अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा या उसके सेवक द्वारा या उसकी अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, ऐसी अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों में से किसी के भंग की दशा में है, आबकारी आयुक्त उसके पक्ष में मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा और उसके द्वारा निक्षिप्त रकम समपहृत कर सकेगा।

(2) जहां कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में इन नियमों के अधीन खुदरा विक्रय अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है, मंजूरी की प्राप्ति की तारीख से विनिर्दिष्ट समय के भीतर राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 69– कक द्वारा विनिर्दिष्ट फीस का निक्षेप नहीं करता है, वहां संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए उसके पक्ष में जारी की गयी मंजूरी रद्द और उसके द्वारा निक्षिप्त रकम समपहृत कर सकेगा।

(3) जहां कोई व्यक्ति जिसके पक्ष में खुदरा विक्रय अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है, अनुज्ञप्ति की प्राप्ति के पश्चात् विनिर्दिष्ट समय के भीतर दुकान प्रारंभ नहीं करता है, वहां संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा और उसके द्वारा निक्षिप्त रकम समपहृत कर सकेगा:

परन्तु उपर्युक्त उप–नियम (1), (2) और (3) के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व, संबंधित प्राधिकारी व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(4) जहां संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के ध्यान में यह लाया जाता है कि,–

(क) खुदरा विक्रय अनुज्ञप्तिधारी इन नियमों के नियम 4 के उप–नियम (11) में यथावर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है; या

(ख) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए स्वीकृति, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कपट या प्रश्नगत रीतियों द्वारा अभिप्राप्त की गयी है, वह अनुज्ञप्तिधारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात्, अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए जारी की गयी मंजूरी रद्द कर सकेगा और उसके द्वारा निक्षिप्त सम्पूर्ण रकम समपहृत कर सकेगा।"

5. नियम 7 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"7. अनुज्ञप्तियों के नवीनकरण के लिए फीस.– (1) इन नियमों के अधीन मंजूर की गयी या मंजूर की गयी समझी गयी अनुज्ञप्ति, जब तक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इसे आगे नवीकृत न किया गया हो, वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

(2) अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाला व्यक्ति, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 72–क के अनुसार आवेदन करेगा और ऐसा आवेदन, नवीकरण आवेदन फीस और वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की अपेक्षित रकम के संदाय को दर्शित करने वाली राजकोष की रसीद के साथ होगाः

परन्तु कोई व्यक्ति जिसे इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर की गयी है, ऐसी अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए कोई दावा या उसके अवसान या नवीकरण नहीं किये जाने पर प्रतिकर के लिए कोई दावा नहीं करेगा।"

राज्यपाल के आदेश से,

08/2016–17

–ह0–

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 05 प्रतियां इस विभाग को तथा 15 प्रतियां आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव